न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थीः– राज. सरकार जरिए पटवारी हल्का कालेडी

अप्रार्थीः– श्री बिरदाराम S/o गोरधनराम माली निवासी कालेडी अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 129/19

निर्णय दिनांकः– 18.7.19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेडी ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत् 2075 में सरहद कालेडी के खसरा नम्बर 272 में किस्म .05 में रकबा [illegible] भू में मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया है जिस पर वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा कालेडी के खसरा नम्बर 272 किस्म [illegible] में रकबा .05 की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति हैक्टैयर की दर से अतिक्रमित रकबा .05 भूमि के .3 रूपये लगान का 50 गुणा 15 /– अक्षरे पन्द्रह रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालाना रिपोर्ट पेश।

निर्णय आज दिनांकः– 18.7.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा
उप तहसीलदार पीलवा